सी आई एन . U40108CT2003SGC015820 GST IN- 22AADCC5773E1ZX

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. / का.यं. / अ.उ.दा.(नि.) / **891** रायपुर, दिनांक **10 / 12 / 2025**

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के विद्यमान 220 के.व्ही. उपकेन्द्र सीएसपीटीसीएल भाटापारा से 400 के.व्ही. उपकेन्द्र पीजीसीआईएल (भाटापारा) तक ई.एच.व्ही. लाईन का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह विद्युत लाईन ग्राम–राजाढ़ार, आलेसुर, खपराडीह, सेन्दरी, सुरखी, पटपर एवं भाटापारा जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से होकर गुजरती है।

उपरोक्त उल्लेखित लाईन में नियमित रूप से विद्युत प्रवाह दिनांक 11 / 12 / 2025 या उसके पश्चात् कभी भी चालू किया जा सकता है।

अतः आम जनता से अनुरोध है, कि इस विद्युत लाईन के पास न जावें तथा विद्युत लाईन से किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है।

विद्युत लाईन से छेड़छाड़ एवं विद्युत लाईन को नुकसान पहुंचाना भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम–1956 एवं विद्युत अधिनियम–2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

(इंजी. यू.के.यादव)
कार्यपालन यंत्री
अति उच्च दाब(निर्माण)संभाग
सीएसपीटीसीएल,रायपुर।

''स्वहित एवं राष्ट्रहित में विद्युत की बचत कीजिये''